आईसीएसएफ गाइड बुक

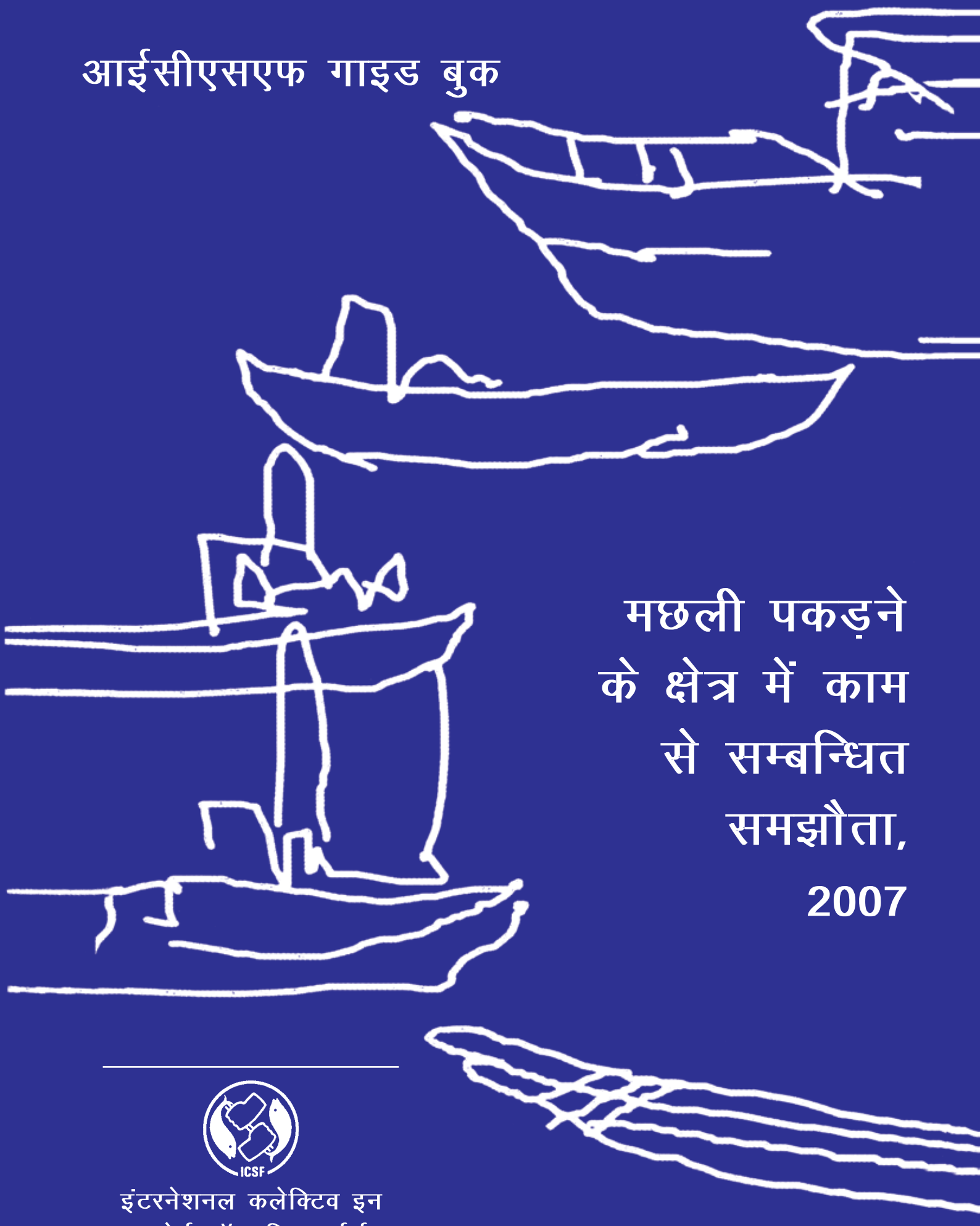



# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007


इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स

www.icsf.net

आईसीएसएफ गाइडबुक :
मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से
सम्बन्धित समझौता, 2007 को समझना

**प्रकाशक**
इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स
27 कॉलेज रोड, चेन्नई– 600 006, भारत
फोन : (91) 44-2827 5303
फैक्स : (91) 44-2825 4457
ईमेल : icsf@icsf.net

**अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद**
बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी (bipincc@gmail.com)

**चित्रांकन**
संदेश (sandeshcartoonist@gmail.com)

आईएसबीएन ISBN 978-93-80802-11-4
कॉपीराइट © आईसीएसएफ 2013

आईसीएसएफ गाइड बुक

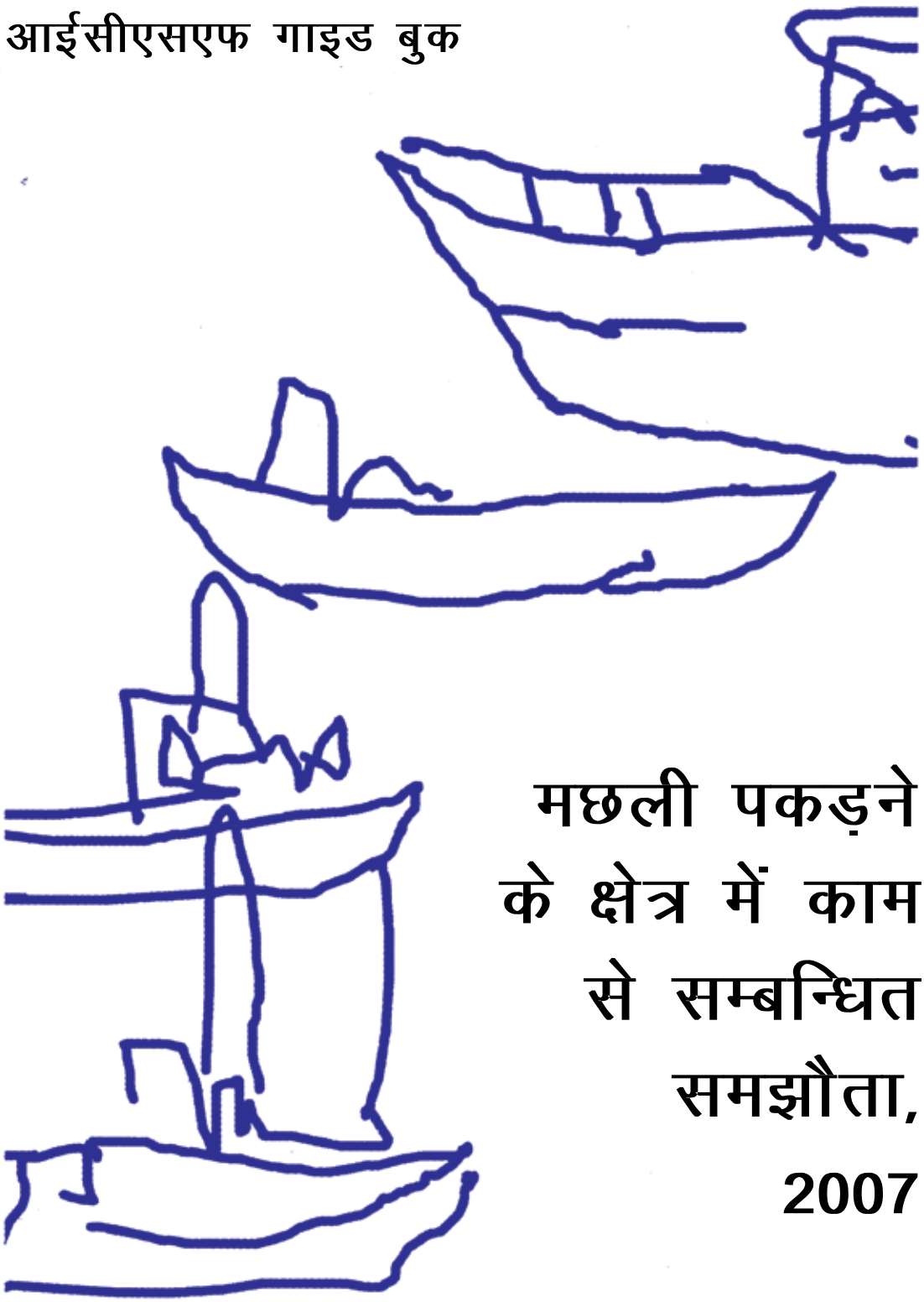

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007

इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स
www.icsf.net

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007

यह गाइडबुक मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 पर एक त्वरित अवलोकन प्रदान करने का प्रयास करती है, जिसे जून 2007 में जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के 96वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में अपनाया गया था। यह समझौते के किसी भी प्रावधान की व्याख्या प्रदान करने का दावा नहीं करती है और इसे इसमें शामिल वास्तविक प्रावधानों के स्थानापन्न के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इस गाइडबुक का उद्देश्य उनलोगों को मदद करना है जो कि समझौते से एवं आईएलओ व आईएलसी के कार्यप्रणाली से वाकिफ नहीं हैं, ताकि वे सम्बन्धित मुद्दों पर समझ हासिल करें। खासकर, यह गाइड उम्मीद करती है कि मछुआरे एवं उनके संगठन विकासशील देशों में शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के समझौते के लाभों एवं निहितार्थों को समझें।

नोट :

चूंकि इस पुस्तिका में मूल अंग्रेजी शब्द आईएलओ द्वारा तय किये गये हैं, लेकिन हिन्दी शब्दों के लिए हमने भारत के केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किये गये शब्दों को प्रयोग किया है। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ही भाग है, ने 2011 में मात्स्यिकी से सम्बन्धित एक शब्दावली विकसित की है। अंग्रेजी शब्द फिशिंग के लिए हिन्दी में मत्स्यन या मछली पकड़ना शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इस पुस्तिका में हमने दोनों ही शब्दों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया है। साथ ही हमने कई अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रचलित हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरह हमने इस बात का ध्यान दिया है कि मूल शब्दों की प्रासंगिकता बनी रहे।

# विषय सूची


1- **परिचय**

- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 क्या है? .....7

2- **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)**

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? .....11
- आईएलओ क्या करती है? .....12
- आएलओ का सांगठनिक ढांचा क्या है? .....13
- आईएलओ का त्रिपक्षीय ढांचा क्या है? .....14
- श्रम की स्थिति में सुधार के लिये आईएलओ के पास क्या साधन हैं?.....15
- आईएलओ एक समझौते या सिफारिश को कैसे अपनाती है?.....15

3- **आईएलओ एवं मछली पकड़ने का सेक्टर**

- मछली पकड़ने के क्षेत्र में आईएलओ का क्या जुड़ाव है? .....19
- मछली पकड़ने में नये श्रम मानक विकसित करने में आईएलओ ने क्या किया है?.....21

4- **मछली पकड़ने में काम पर समझौता, 2007**

- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का विशेष महत्व क्या है? .....25
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के अंतर्गत मुख्य जरूरतें क्या हैं? .....26
- समझौते की विशिष्ट अभिव्यक्तियां क्या हैं जो इन उद्देश्यों को हासिल करना चाहती हैं?.....29
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का ढांचा क्या है? .....30
- प्रगतिशील क्रियान्वयन अवधारणा क्या है?.....30

## 5. शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ना


- छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के लिये भी श्रम मानक पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है?..... 35
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 से कारीगर, एवं छोटे मछुआरे व मछली पकड़ने के जलयान कैसे लाभान्वित होंगे?..... 36
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 सभी श्रेणियों के मछुआरों एवं मछली पकड़ने के जलयानों को शामिल करता है? ..... 37
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 समुद्री तट पर आधारित मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल लोगों को कैसे लाभान्वित करेगा?..... 39
- मछुआरे एवं नागरिक समाज संगठन समुद्री तट आधारित मछुआरों के लिए,मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के अंतर्गत मछुआरों को हो सकने वाले लाभ के अनुरूप ही, लाभ सुनिश्चित करने के लिये क्या कर सकते हैं?... 39


## 6. भावी दिशा


- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 को अपनाने एवं पुष्टि करने वाले सदस्य राज्यों से क्या करने की उम्मीद की जाती है? ..... 43
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने वाले विकासशील देशों को मदद करने के लिये क्या कोई विशेष प्रावधान हैं?..... 44
- मछुआरे एवं नागरिक समाज संगठन मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये क्या कर सकते हैं?..... 45


## 7. निष्कर्ष


- कुछ समापन टिप्पणियां..... 49

# परिचय

नौका पर
स्वागत है
सामाजिक
सुरक्षा
चिकित्सा
देखभाल
पेशेगत
सुरक्षा
भोजन
एवं
पानी
भर्ती
सेवा की शर्तें
अनुपालन
एवं प्रवर्तन

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 क्या है?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में सरकार, श्रमिको एवं नियोक्ता प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिये नये मानक निर्धारित करता है।

समझौते का उद्देश्य ''यह सुनिश्चित करना है कि मछुआरों को मछली पकड़ने के दौरान काम की न्यूनतम जरूरतों, सेवा की शर्तों, आवास एवं भोजन, पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल एवं सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में मछली पकड़ने के जलयानों पर कामकाज के अच्छे वातावरण उपलब्ध हों।'' इसमें उन नये मुद्दों को सम्बोधित किया जाता है जो मौजूदा साधनों द्वारा शामिल नहीं किये गये थे, जैसे प्रत्यावर्तन, भर्ती, समुद्र में स्वास्थ्य देखभाल, पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण, और अनुपालन एवं प्रवर्तन एवं अन्य।

यह समझौता मुख्यतः फ्लैग स्टेट्स (ध्वज राज्यों) को लक्ष्य करती है –ध्वज राज्य ऐसे राज्य होते हैं जिन्होंने अपने मछली पकड़ने के जलयानों को पंजीकृत किया है और वे उन पर न्याय अधिकार प्रयोग करते हैं, चाहे वे कहीं भी मछली पकड़ें। समझौते में पोर्ट राज्यों के लिये नियंत्रण के प्रावधान भी हैं – ऐसे राज्य जिनका मछली पकड़ने के जलयानों पर न्याय अधिकार है, चाहे वे किसी भी राष्ट्रीयता से सम्बन्धित हों, ये जलयान उनके न्यायाधीन क्षेत्र के अंतर्गत मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों को रिपोर्ट देते हैं।

# अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
# (आईएलओ)

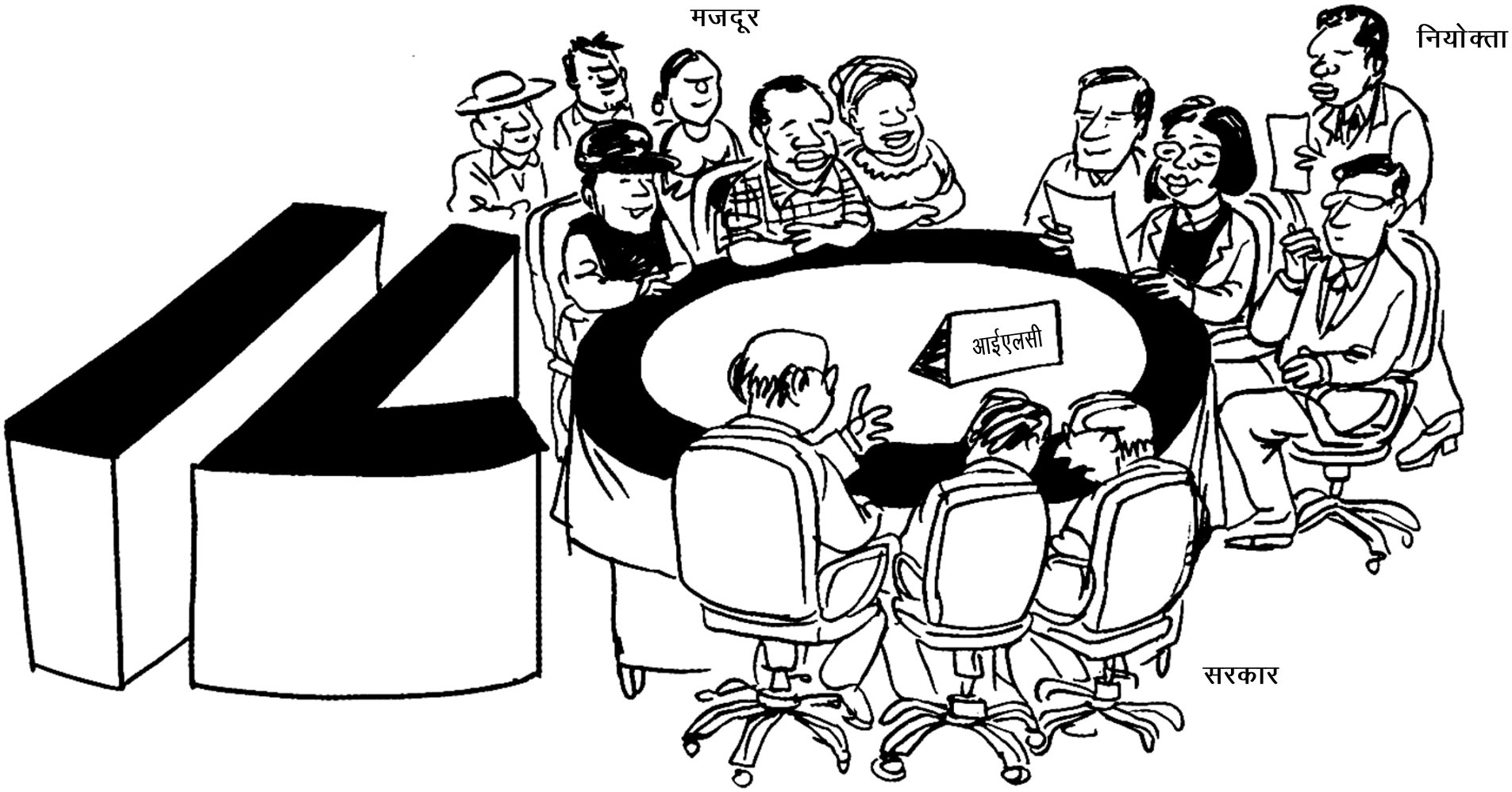
मजदूर
नियोक्ता
आईएलसी
सरकार

# अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?

आईएलओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विशेषीकृत एजेंसी है जो कि काम की परिस्थितियां, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी, संगठन की स्वतंत्रता एवं न्यूनतम उम्र की बाध्यता जैसे कुछ क्षेत्रों को शामिल करते हुए श्रम अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित करती है।

आईएलओ का गठन 1919 में, पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर, एक दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिये हुआ जो कि इस प्रस्तावना पर आधारित था कि सार्वभौमिक, स्थायी शांति तभी स्थापित किया जा सकता है यदि वह कामगार लोगों के साथ अच्छे व्यवहार पर आधारित हो। आईएलओ 1946 में यूएन की पहली विशेषीकृत एजेंसी बन गयी, और यह बरसाई की प्रमुख संधि तैयार कराने वाली एकमात्र जीवित संगठन है जिसने राष्ट्र संघ को अस्तित्व में लाया। 1969 में, इसके 50वें वर्षगांठ पर, आईएलओ को नोबल शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।

आईएलओ महिलाओं और पुरूषों के लिये स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा एवं मानवीय गरिमा युक्त सभ्य एवं उत्पादक कार्य की परिस्थितियां हासिल करने के लिये अवसरों को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं काम पर अधिकारों को प्रोत्साहित करना, अच्छे रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, और काम से सम्बन्धित मुद्दों से निपटने में बातचीत को मजबूत करना।

सामाजिक न्याय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानव एवं श्रम अधिकारों को प्रोत्साहित करने में, संस्था लगातार अपने इस स्थापना मिशन का अनुसरण करती है कि श्रम की शान्ति समृद्धि के लिये आवश्यक है। आज, आईएलओ अच्छी नौकरियां एवं विभिन्न आर्थिक व काम की परिस्थितियां तैयार करने को आगे बढ़ाने में मदद करती है जो कि कामगार लोगों एवं व्यापारिक लोगों को स्थायी शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के अवसर देती है।

आईएलओ के सदस्य राष्ट्र एवं राज्य हैं। 20 दिसम्बर 2007 तक, आईएलओ के 181 सदस्य हैं।

# आईएलओ क्या करती है?

आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक को समझौतों एवं सिफारिशों के स्वरूप में तैयार करती है जो कि बुनियादी श्रम अधिकारों के न्यूनतम मानक तय करती है। इन मानकों में संगठन की स्वतंत्रता; संगठित होने का अधिकार; सामूहिक मोलभाव; बंधुआ मजदूरी की समाप्ति; अवसर एवं व्यवहार की समानता; एवं काम से सम्बन्धित पूरे दायरे की अन्य मानक नियामक परिस्थितियां शामिल हैं।

वास्तव में, आईएलओ अन्य साधनों सहित, काम के घंटो को नियंत्रित करके; मजदूरों को उनके रोजगार के दौरान होने वाली बीमारी, रोग एवं चोट से सुरक्षित करके; बच्चों की सुरक्षा करके; बुजुर्गों एवं चोट के लिये व्यवस्था करके; जब कोई कामगार अपने देश से बाहर कार्यरत हो तो उनके हितों की रक्षा करके; और कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करके श्रम की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये काम करती है।

आईएलओ मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है :

- व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक पुनर्वास;
- रोजगार नीति;
- श्रम प्रशासन;
- श्रम कानून एवं औद्योगिक सम्बन्ध;
- काम की शर्तें;
- प्रबन्धन विकास;
- सहकारी व्यवस्था;
- सामाजिक सुरक्षा;
- श्रमिक आंकड़े; एवं

• पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।

आईएलओ नियोक्ताओं एवं मजदूरों के स्वतंत्र संगठनों के विकास को प्रोत्साहित करती है, और उन संगठनों को प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। यूएन की व्यवस्था के अंतर्गत, आईएलओ का अनूठा त्रिपक्षीय ढांचा है, जिसमें मजदूर एवं नियोक्ता सरकार के साथ उसके शासित हिस्सों के काम में बराबर पार्टनर के तौर पर भागीदारी करते हैं।

# आएलओ का सांगठनिक ढांचा क्या है?

आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम सभा (आईएलसी), एक संचालक मंडल (जीबी) एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय से युक्त है।

आईएलसी – जिसे अक्सर श्रम की अंतरराष्ट्रीय संसद कहा जाता है – की हर साल जून में जिनेवा में बैठक होती है। सरकार के दो प्रतिनिधि, एक नियोक्ता प्रतिनिधि एवं एक मजदूर प्रतिनिधि हरेक सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को आईएलसी में तैयार किया जाता है एवं अपनाया जाता है। आईएलसी राष्ट्रीय स्तर पर समझौतों एवं सिफारिशों के आवेदनों की देखरेख भी करती है। आईएलसी की सभी गोष्ठियों के एजेंडा का निर्णय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है।

जीबी आईएलओ की कार्यकारी परिषद एवं इसकी सर्वोच्च निर्णय–प्रक्रिया मंडल है। जीबी अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की देखरेख करती है। इसकी साल में तीन बार जिनेवा में बैठक होती है, यह आईएलओ नीति पर निर्णय लेती है, एवं उसके कार्यक्रम एवं बजट तय करती है, तब वह आईएलसी के पास अपनाने के लिये भेजती है। यह महानिदेशक का भी चुनाव करती है। जीबी में 56 लोग शामिल होते हैं, जिनमें 28 सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 14 नियोक्ताओं का एवं 14 मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से 10 की

नियुक्ति आईएलओ के मुख्य औद्योगिक महत्व के सदस्यों द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में ब्राजील, चीन एवं भारत जैसे विकासशील देशों को शामिल कर रहे हैं। आईएलओ का त्रिपक्षीय ढांचा नियोक्ताओं के समूह, मजदूरों के समूह एवं सरकारों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को साकार करती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय आईएलओ का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की समग्र गतिविधियों के लिये केन्द्र बिन्दु है, जहां सभी गतिविधियां संचालक मंडल की समीक्षा एवं महानिदेशक के नेतृत्व के अंतर्गत तैयार की जाती हैं। महानिदेशक पांच साल की अवधि के लिये चुना जाता है, जिसका पुनः नवीनीकरण हो सकता है। यह कार्यालय जिनेवा मुख्यालय एवं दुनिया भर के 40 क्षेत्रीय कार्यालयों में 110 राष्ट्रीयता वाले करीब 1900 अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

# आईएलओ का त्रिपक्षीय ढांचा क्या है?

आईएलओ के पास त्रिपक्षीय, या तीन–स्तरीय निर्णय प्रक्रिया की व्यवस्था है जो सरकार, नियोक्ता एवं मजदूर प्रतिनिधियों को अपने सभी अंगो एवं अपने सभी कामकाज में एक बराबर स्तर पर एक साथ लाती है। आईएलओ के त्रिपक्षीय ढांचे में सदस्य देशों की सरकारें, एवं नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठन शामिल होते हैं। आईएलओ के संविधान की आवश्यकता है कि हरेक सदस्य राज्य आईएलसी की बैठकों में अपने त्रिपक्षीय प्रतिनिधि को भेजे, जिसमें सरकार के दो प्रतिनिधि, एक नियोक्ता प्रतिनिधि, एक मजदूर प्रतिनिधि एवं उनके सम्बन्धित सलाहकार शामिल हों। नियोक्ता और मजदूर प्रतिनिधि का चयन नियोक्ताओं एवं मजदूरों के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संगठनों की सलाह के आधार पर किया जाता है, बदले में, जिसका निर्णय सम्बन्धित राष्ट्रीय सरकारों द्व ारा किया जाता है।

# श्रम की स्थिति में सुधार के लिये आईएलओ के पास क्या साधन हैं?

आईएलओ जिन साधनों का प्रयोग श्रम की स्थिति सुधारने के लिये करती है वह आईएलसी द्वारा अपनाये जाने वाले समझौतों एवं सिफारिशों का स्वरूप लेता है। वे सामाजिक नीति के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों को प्रोत्साहित करते हैं, और सभी कार्य समबन्धित मामलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों की एक व्यवस्था शामिल करते हैं। आईएलओ समझौते अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो आईएलओ के सदस्य राज्यों की पुष्टि से सम्बन्धित होती हैं। सिफारिशें गैर–बाध्यकारी साधन होती हैं –अक्सर समझौतों के रूप में उन्हीं विषयों के साथ सम्बोधित होने वाली – जो कि दिशानिर्देश के अनुरूप राष्ट्रीय नीति एवं कार्य–योजना तय करती हैं। दोनों स्वरूपों का इरादा दुनिया भर में काम की परिस्थितियों एवं कार्य प्रणालियों पर ठोस असर डालने का होता है।

# आईएलओ एक समझौते या सिफारिश को कैसे अपनाती है?

किसी समझौते या सिफारिश को अपनाने से पहले, आईएलसी पूरी तरह तकनीकी तैयारी एवं सदस्यों के साथ समुचित विचार विमर्श सुनिश्चित करने के लिये नियम बनाती है। आईएलसी किसी प्रासंगिक मामले पर विचार करने एवं रिपोर्ट के लिये समिति बना सकती है। जब एक बार रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो आईएलसी प्रस्तावित समझौता या सिफारिश को अपनाने के लिये विचार करती है। इसके बाद समझौते या सिफारिश के प्रावधानों को अंतिम विषय–वस्तु तैयार करने के लिये ड्राफ्टिंग समिति को भेजा जाता है। आईएलओ के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार, आईएलसी विषय–वस्तु में निहित समझौते या सिफारिश को अपनाने के

लिये अंतिम मतदान कराती है। समझौते या सिफारिश को अपनाने के लिये अंतिम मतदान में आईएलसी में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिये जाने वाले मत का दो–तिहाई बहुमत जरूरी होता है।

समझौते पुष्टि के लिये या सरकारों द्वारा औपचारिक मंजूरी के लिये खुले होते हैं। समझौते की पुष्टि करने वाला हरेक सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के लिये समझौते के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये किये जाने वाले उपायों, जैसे कि राष्ट्रीय कानून के विकास, पर एक वार्षिक रिपोर्ट बनाने को सहमत होता है। सदस्य देश भी उस समझौते पर रिपोर्ट करने को बाध्य होते हैं जिसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है।

जबकि, सिफारिशें कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, और सरकारों के लिये कोई औपचारिक दायित्व तय नहीं करती हैं; उनका इरादा सिर्फ सामाजिक नीतियों एवं सरकारों को गाइड करना होता है।

# आईएलओ एवं मछली पकड़ने का सेक्टर

मछली पकड़ने से सम्बन्धित समझौते

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में आईएलओ का क्या जुड़ाव है?

मछली पकड़ने के क्षेत्र में श्रम की स्थिति सुधारने में आईएलओ की रुचि 1920 से है, जब इटली के जेनोआ में आईएलसी के दूसरे सत्र ने मत्स्यन क्षेत्र में काम के घंटे सीमित करने से सम्बन्धित सिफारिश को अपनाया। इसने प्रस्ताव किया कि ''एक दिन में आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे के मानक को उन क्षेत्रों में लक्ष्य किया जाये जहां पहले से इसका पालन नहीं हो रहा है।''

करीब 40 साल बाद, मत्स्यन सम्बन्धित तीन समझौतों को आईएलसी में अपनाया गया, ये समझौते न्यूनतम उम्र (मछुआरा) समझौता, 1959 (संख्या 112); चिकित्सकीय परीक्षण (मछुआरा) समझौता, 1959 (संख्या 113) एवं मछुआरों की करार की शर्तें समझौता, 1959 (संख्या 114) हैं।

समझौता संख्या 112 सभी वाणिज्यिक समुद्री मछली पकड़ने के जलयानों (नौकाओं) के लिए, एवं 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मछली पकड़ने के जलयानों पर नौकरी पर रखने से वर्जित करने के लिये लागू होता है। जबकि, यदि स्वास्थ्य एवं भौतिक वातावरण अनुकूल हो, तो न्यूनतम 14 वर्ष के बच्चों को रोजगार पर रखा जा सकता है।

समझौता संख्या 113 भी सभी वाणिज्यिक समुद्री मछली पकड़ने के जलयानों के लिये लागू होता है, लेकिन उन नौकाओं को इससे छूट है जो कि समुद्र में तीन दिन से ज्यादा न रुकते हों। इसके लिये मछुआरे को उस काम के लिये फिटनेस प्रमाण पत्र रखने की जरूरत होती है जिसके लिये उसे नौकरी पर रखा गया था।

समझौता संख्या 114 को वाणिज्यिक समुद्री मछली पकड़ने के जलयानों के लिये कुछ खास प्रकार के मछली पकड़ने के जलयानों को नियोक्ताओं एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से छूट के प्रावधानों के साथ

अपनाया गया था। इसके लिये मछली पकड़ने के जलयान के मालिक एवं मछुआरे दोनों द्वारा एक निश्चित, या अनिश्चित अवधि, या मछली पकड़ने की यात्रा के लिये करार की शर्तों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है, जो कि राष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित हो। ये अनुच्छेद अन्य बातों के अलावा, मछली पकड़ने के जलयान पर मछुआरे को आपूर्ति की जाने वाली खाद्य पदार्थों की मात्रा, पारिश्रमिक का तरीका एवं मात्रा, और अनुबंध को समाप्त करने की शर्तों से सम्बन्धित हैं।

1966 में, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 से पहले, कुछ अंतिम मत्स्यन समझौते अपनाये गये। ये समझौते हैं मछुआरों की योग्यता प्रमाण पत्र समझौता, 1966 (संख्या 125), एवं कर्मचारियों (मछुआरों) के आवास समझौता, 1966 (संख्या 126)। दोनों में, अन्य बातों के अलावा, तट के समीप मछली पकड़ने वाली नौकाओं, और 25 टन सकल भार के लिये पंजीकृत (जीआरटी) नौकाओं को छूट प्रदान है। बाद वाले समझौते में 13.7 मीटर से कम लम्बाई वाली नौकाओं को छूट प्रदान है। जाहिर तौर पर, ये दोनों समझौते मुख्यतः औद्योगिक मत्स्यन के क्रियाकलापों में लागू होते हैं।

समझौता संख्या 125 के लिये आवश्यक है कि सदस्य देश जिन्होंने समझौते की पुष्टि की है वे मछली पकड़ने के जलयान पर कप्तान, साथी या इंजिनियर की ड्यूटी सम्पन्न करने के लिये एक व्यक्ति की हकदारी योग्यता प्रमाण पत्र के लिये योग्यता के मानक निर्धारित करें। जबकि समझौता संख्या 126 के अनुसार उन्हें आवास सुविधा के साथ चालक दल प्रदान करना आवश्यक है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण (मछुआरों के लिए) सिफारिश, 1966 (संख्या 126) मछुआरों के लिये नौवहन, मछली पकड़ने, मछली पकड़ने के जलयानों की मरम्मत एवं रखरखाव, एवं समुद्र में सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मछुआरों को सामान्य प्रशिक्षण पर केन्द्रित है।

समुद्री समझौतों कुछ प्रावधान भी वाणिज्यिक समुद्री मछली पकड़ने के लिये लागू होते हैं। इस तरह, जलयान मालिक दायित्व (बीमार एवं घायल नाविक) समझौता, 1936 (संख्या 55) 'समुद्र तटीय मछली पकड़ने के जलयानों के अलावा समस्त मत्स्यन नौकाओं पर लागू होता है। इसी तरह, नाविकों का कल्याण समझौता, 1987 (संख्या 163); स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सकीय देखभाल (नाविक) समझौता, 1987 (संख्या 164); सामाजिक सुरक्षा (नाविक) समझौता (संशोधित), 1987 (संख्या 165); नाविकों का प्रत्यावासन समझौता (संशोधित), 1987 (संख्या 166); श्रम निरीक्षण (नाविक) समझौता, 1996 (संख्या 178); नाविकों की भर्ती एवं नियुक्ति समझौता, 1996 (संख्या 179); और नाविकों के काम के घंटे एवं जलयानों की मजबूती समझौता, 1996 (संख्या 180) भी वाणिज्यिक समुद्री मछली पकड़ने पर लागू हो सकते हैं।

# मछली पकड़ने में नये श्रम मानक विकसित करने में आईएलओ ने क्या किया है?

मार्च 2002 में, आईएलओ के संचालक मंडल के 283वें सत्र ने मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम पर –एक सिफारिश से युक्त एक समझौता –एक व्यापक मानक से सम्बन्धित विषय पर आईएलसी का एक एजेंडा पेश किया। यह नया मानक मछुआरों की योग्यता प्रमाण पत्र समझौता, 1966 को छोड़कर आईएलओ के मौजूदा 7 में से 6 साधनों की समीक्षा के लिये था। समुद्री नौकाओं पर काम करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित नये मुद्दे – जैसे पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, एवं सामाजिक सुरक्षा – भी इसमें लिये गये।

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम पर सिफारिश, 2007 (आर 199) सहित, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 (सी 188) को आईएलसी के जून 2007 में जिनेवा में हुए 96वें सत्र में अपनाया गया। इसे आईएलसी की मत्स्यन क्षेत्र की समिति के 2004 एवं 2005 के दो सत्र में समझौते एवं सिफारिश के प्रस्तावित विषय वस्तु पर चर्चा के बाद, और फिर 2007 में मत्स्यन क्षेत्र पर आईएलसी की समिति में विषय वस्तु पर कुछ सदस्य राज्यों एवं नियोक्ताओं के समूह द्वारा प्रस्तावित कुछ बदलावों को शामिल करने के बाद अपनाया गया।

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, दस सदस्य राज्यों द्वारा पुष्टि की तिथि के 12 माह बाद अस्तित्व में आएगा, जबसे वे आईएलओ के साथ पंजीकृत हैं, इनमें से आठ तटीय राज्य हैं।

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007

गहरे समुद्र में
मछली पकड़ने वाले
डब्ल्यूएफसी
दूर समुद्र में जाने
वाले जलयान

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का विशेष महत्व क्या है?

हालांकि आईएलओ के पिछले मत्स्यन मानकों को अपनाये हुए 40 अब साल बीत चुके हैं, लेकिन पिछले समझौतों की पुष्टि की दर काफी कम है। इसके अलावा, आईएलओ के पुराने साधन अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहे, और उन्हें आज की मत्स्यन क्रियाकलापों के बदलते स्वभाव को दर्शाने करने के लिये अपडेट किया गया है। समुद्र तटीय समझौते जो वाणिज्यिक समुद्र तटीय मत्स्यन पर लागू होते हैं वे भी समुद्र तटीय श्रम समझैता, 2006 (एमएलसी), के अपनाने के साथ ही प्रासंगिक नहीं रहे। इसने मौजूदा समुद्र तटीय समझौतों की समीक्षा करते समय मछली पकड़ने के जलयानों को अपने दायरे से हटा दिया। मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, इन श्रम मानकों को संशोधित करता है, और समुद्र तटीय समझौतों के उन प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करता है जो पिछले चार दशकों से मत्स्यन क्षेत्र में आये बदलावों को दर्शाने करने के लिये और एमएलसी के दायरे में मछली पकड़ने के जलयानों को शामिल न करने की वजह से आये खालीपन को भरने के लिये मानकों को तय करने की व्यवस्था को अपडेट एवं मजबूत करने के उद्देश्य सेमछली पकड़ने के जलयानों पर लागू होते हैं।

आर्थिक एवं व्यापार वैश्वीकरण के मौजूदा सन्दर्भ में, कई विकासशील देशों की मछली पकड़ने की नौकाएं न सिर्फ अपने राष्ट्रीय जलों में मछली पकड़ रही हैं बल्कि खुले समुद्र में एवं दूसरे राज्यों के जलों में भी मछली पकड़ रही हैं। औद्योगिक देशों के मछली पकड़ने के जलयानों पर विकासशील देशों के मछुआरों के रोजगार में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। ऐसी स्थिति में, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 मछली पकड़ने के श्रम आयाम के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिये और मछली पकड़ने के जलयानों पर रहन सहन एवं कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिये यह एक उपयोगी साधन है। इस पेशे

को आईएलओ द्वारा ''अन्य पेशे के मुकाबले खतरनाक पेशे'' के तौर पर मान्यता दी गयी है।

आईएलओ के मछली पकड़ने सम्बन्धी किसी साधन के इतिहास में पहली बार, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 में, निर्वाह एवं मनोरंजक मछली पकड़ने को छोड़कर, नदियों, झीलों एवं नहरों सहित सभी मत्स्यन क्रियाकलापों तक विस्तार की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि, यह आईएलओ का मत्स्यन सम्बन्धी पहला साधन है जो अपने दायरे में, छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने की क्रियाकलापों सहित, घरेलू एवं समुद्री दोनों प्रकार के मत्स्यन को शामिल करता है। इस तरह यह समझौता मछली पकड़ने की बड़ी एवं छोटी दोनों ही प्रकार के जलयानों, खुली एवं सजी हुई नौकाओं और उन पर सवार होने वाले मछुआरों पर लागू होता है।

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के अंतर्गत मुख्य जरूरतें क्या हैं?

जो देश मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 की पुष्टि करते हैं, उन्हें मछुआरों के सुरक्षित नौवहन एवं क्रियाकलाप के लिये मछली पकड़ने के जलयानों पर पर्याप्त और सुरक्षित तरीके से लोगों को काम पर लगाने की जरूरतों को जिक्र करना होगा। आईएलओ सदस्यों के लिये यह आवश्यक होगा कि निम्न के सन्दर्भ में मानक विकसित करें :

मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने पर काम की न्यूनतम जरूरतें

- मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने के काम के लिये न्यूनतम उम्र, ताकि युवा लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरे में न डाले;

- मछुआरों का चिकित्सकीय जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने पर वे अपना काम करने के लिये फिट हैं;

सेवा की शर्तें

- मछली पकड़ने के जलयानों के सुरक्षित नौवहन एवं संचालन सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को सुरक्षित तरीके से काम पर लगाना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने वाले मछुआरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गारंटी के लिये उन्हें नियमित अवधि में आराम की व्यवस्था करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर चालक दल की सूची रखना और नौका के प्रस्थान करने से पहले, उसकी एक प्रति अथॉरिटी को प्रदान करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर मछुआरों को अच्छे रहन–सहन एवं काम की परिस्थिति की गारंटी के लिए, मछुआरों के काम के समझौते एवं उनकी न्यूनतम ब्योरे तैयार करना;
- मछुआरों की एक विदेशी पोर्ट से वापस लौटने की हकदारी;
- मछुआरों की भर्ती एवं नियुक्ति;
- मछुआरों को मजदूरी की न्यूनतम अदायगी सुनिश्चित करने के उपाय;

आवास एवं भोजन

- मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने वालों के लिये आवास, भोजन एवं पेयजल के सन्दर्भ में प्रावधान;

चिकित्सकीय देखभाल, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा

- तट पर स्वास्थ्य देखभाल एवं चिकित्सकीय उपचार का अधिकार; और गंभीर रूप से घायल होने या बीमारी की स्थिति में तट पर समयबद्ध तरीके से इस अधिकार को पूरा करना;

- पेशेगत दुर्घटनाओं, पेशेगत बीमारियों एवं मछली पकड़ने के जलयानों की सवारी में जोखिम मूल्यांकन व प्रबंधन सहित काम से सम्बन्धित जोखिमों की रोकथाम करना;
- मत्स्यन गिअर को संभालने एवं मछली पकड़ने की क्रियाकलापों में मछुआरों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों की सवारी पर दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं छानबीन की व्यवस्था करना;
- यह सुनिश्चित करना कि मछुआरों एवं उन पर निर्भर लोगों को अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के समान ही सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के लाभ की हकदारी हो, सभी मछुआरों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा संरक्षण हासिल हो एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का रखरखाव सुनिश्चित करना;
- काम से सम्बन्धित बीमारी, चोट एवं मौत के लिये संरक्षण एवं यह सुनिश्चित करना कि मछली पकड़ने की नौकाओं के मालिक मछुआरों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं चिकित्सकीय देखभाल के प्रावधान के लिये जिम्मेदार हों; एवं

अनुपालन एवं प्रवर्तन

- न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रभावी अभ्यास करना एवं समझौते की जरूरतों सहित अनुपालन की गारंटी की व्यवस्था स्थापित करके नौकाओं पर नियंत्रण करना।

उपरोक्त सभी प्रावधान निम्न के लिये लागू होंगे : (क) 24 मीटर या उससे ज्यादा लम्बी मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए; (ख) मछली पकड़ने की ऐसी नौकाएं जो समुद्र में आमतौर पर सात या ज्यादा दिनों तक रहती हों; (ग) मछली पकड़ने की ऐसी नौकाएं जो दूर समुद्र में पछली पकड़ने का काम करती हैं। इनमें से अधिकांश मछली पकड़ने की उन नौकाओं पर एवं उन पर सवार होने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय अथॉरिटी द्वारा समझौते के दायरे से अलग नहीं किया गया है।

# समझौते की विशिष्ट अभिव्यक्तियां क्या हैं जो इन उद्देश्यों को हासिल करना चाहती हैं?

कुल नौ भागों वाले समझौते में 54 अनुच्छेद, एवं तीन संलग्नक हैं। पहला भाग परिभाषाओं (अनुच्छेद 1) एवं दायरे (अनुच्छेद 2, 3, 4 एवं 5) से सम्बन्धित है। भाग दो सामान्य सिद्धान्त, अर्थात, क्रियान्वयन (अनुच्छेद 6), योग्य अथॉरिटी एवं समन्वय (अनुच्छेद 7), एवं मछली पकड़ने के जलयानों के मालिकों, कप्तानों एवं मछुआरों की जिम्मेदारियों (अनुच्छेद 8) से सम्बन्धित है। भाग तीन मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने पर काम की न्यूनतम जरूरतों, अर्थात, न्यूनतम उम्र (अनुच्छेद 9), चिकित्सकीय जांच (अनुच्छेद 10, 11 एवं 12) से सम्बन्धित है।

भाग चार सेवा की शर्तों से सम्बन्धित है, भाग पांच आवास एवं भोजन से (अनुच्छेद 25 से 28) एवं भाग छः चिकित्सकीय देखभाल, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित है। भाग चार एवं छः समझौते के सबसे लम्बे भाग हैं। भाग चार में लोगों को काम पर लगाना एवं आराम के घंटे (अनुच्छेद 13 एवं 14), चालक दल की सूची (अनुच्छेद 15), मछुआरों के काम का अनुबंध (अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 एवं 20), स्वदेश लौटना (अनुच्छेद 21), भर्ती एवं नियुक्ति (अनुच्छेद 22), एवं मछुआरों का वेतन (अनुच्छेद 23 एवं 24) शामिल हैं। भाग छः में चिकित्सकीय देखभाल (अनुच्छेद 29 से 30), पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और दुर्घटना की रोकथाम (अनुच्छेद 31 से 33), सामाजिक सुरक्षा (अनुच्छेद 34 से 37), एवं काम से सम्बन्धित बीमारी, चोट या मौत की स्थिति में संरक्षण (अनुच्छेद 38 से 39) शामिल हैं।

भाग सात अनुपालन एवं प्रवर्तन (अनुच्छेद 40 से 44) से सम्बन्धित है। भाग आठ संलग्नकों – 1 (मापन में समानता), 2 (मछुआरों के काम का

अनुबंध) एवं 3 (मछली पकड़ने के जलयानों में आवास) – के संशोधन से सम्बन्धित है। भाग 9 अंतिम प्रावधानों से सम्बन्धित है।

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का ढांचा क्या है?

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, के अंतर्गत दो स्तरीय ढांचा है। एक तरफ इसमें (i) 24 मीटर या उससे अधिक की लम्बाई वाले जलयानों के लिए, (ii) उन जलयानों के लिये जो समुद्र में सात दिन से अधिक रहते हैं, (iii) उन जलयानों के लिये जो समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील से ज्यादा नौवहन करते हैं, या (iv) उन जलयानों के लिये जो महाद्वीपीय पट्टी के किनारे के परे नौवहन करते हैं, एवं (v) ऐसे जलयानों मे काम करने वाले मछुआरों के लिये निर्देशात्मक मानक हैं। दूसरी तरफ, इसमें मछली पकड़ने के अन्य जलयानों के लिये समझौते के दायरे के अंतर्गत एवं उन जलयानों में काम करने वाले मछुआरों के लिये लचीले मानक है। यह सदस्य राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये कानूनों, नियमों या अन्य उपायों को अपनायें। सदस्य राज्यों को शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने के जलयान सहित मछली पकड़ने के जलयानों के प्रकार पर निर्णय करने की जरूरत होगी जो कि मछली पकड़ने के श्रम मानकों से लाभान्वित होने के लिये सिफारिश की जानी चाहिए। इसके अलावा, कुछ खास श्रेणी के मछली पकड़ने के जलयानों से सम्बन्धित समझौते के कुछ प्रावधानों को ''प्रगतिशील तरीके से क्रियान्वित'' करने के लिये प्रावधान हैं।

# प्रगतिशील क्रियान्वयन अवधारणा क्या है?

हालांकि 'प्रगतिशील क्रियान्वयन की अवधारणा परिभाषित नहीं है, लेकिन ज्यादा लम्बी अवधि के लिये समझौते के कुछ खास चुने हुए प्रावधानों (नीचे देखें) को क्रियान्वित करने के लिये देशों को अनुमति देने की शर्तों के तौर पर यह जानी हुई है। समझौता उन जलयानों के लिये इन प्रावधानों को ''प्रगतिशील तरीके से क्रियान्वित'' करने की अनुमति देती है जो कि निम्न श्रेणियों से इसके दायरे में लाये गये हैं: (i) 24 मीटर से कम लम्बाई वाले जलयान; (ii) ऐसे जलयान जो कम अवधि की यात्रा करते हैं, अक्सर 7 दिनों से कम; (iii) ऐसे जलयान जो कि समुद्र में बहुत दूर तक मछली पकड़ने नहीं जाते हैं, और उन जलयानों पर सवार होने वाले मछुआरों के लिए। प्रगतिशील क्रियान्वयन का लचीलापन निम्न की आवश्यकताओं पर ही लागू हो सकता है:

- ऐसे मछुआरे जो मछली पकड़ने के उन जलयानों पर सवार होने के लिये मान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र रखते हों जो कि उपरोक्त तीन श्रेणियों और 24 मीटर से ज्यादा बड़े और समुद्र में सात दिन से कम रहने वाले जलयानों से सम्बन्धित हैं;
- मछली पकड़ने वाले ऐसे जलयान जो अपने साथ चालक दल की सूची रखते हैं;
- मछली पकड़ने के जलयान के मालिक यह सुनिश्चित करें कि नौका पर सवार होने पर हरेक मछुआरे को काम एवं रहन सहन की अच्छी परिस्थिति की गारंटी देते हुए उनके साथ दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित काम का लिखित समझौता किया जाए;
- मछुआरों की सहभागिता से, जोखिम मूल्यांकन करना; एवं
- आईएलओ सदस्य मछुआरों को काम से सम्बन्धित बीमारी, चोट या मौत के लिये सुरक्षा प्रदान करें, साथ ही मछली पकड़ने के जलयानों

के मालिकों द्वारा जवाबदेही की व्यवस्था के माध्यम से या अनिवार्य बीमा, मजदूरों को मुआवजा या अन्य योजनाओं के माध्यम से मछुआरों के बीमारी से घायल होने या बीमारी की स्थिति में चिकित्सकीय देखभाल एवं मुआवजे की व्यवस्था हो।

प्रगतिशील क्रियान्वयन की अवधारणा खासकर उपरोक्त श्रेणियों के मछली पकड़ने के जलयानों के मालिकों को लाभान्वित करती है, एवं मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 की पुष्टि करने वाले देशों को समझौते के उपरोक्त प्रावधानों को लम्बी अवधि तक क्रियान्वित करने की अनुमति देती है। ऐसी अवधारणा से समझौते की व्यापक पुष्टि की उम्मीद है, क्योंकि कुछ देशों में यह उन ढांचागत एवं संस्थागत कमियों को सम्बोधित करती है जो समझौते के क्रियान्वयन को बाधित कर सकते हैं।

# शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ना

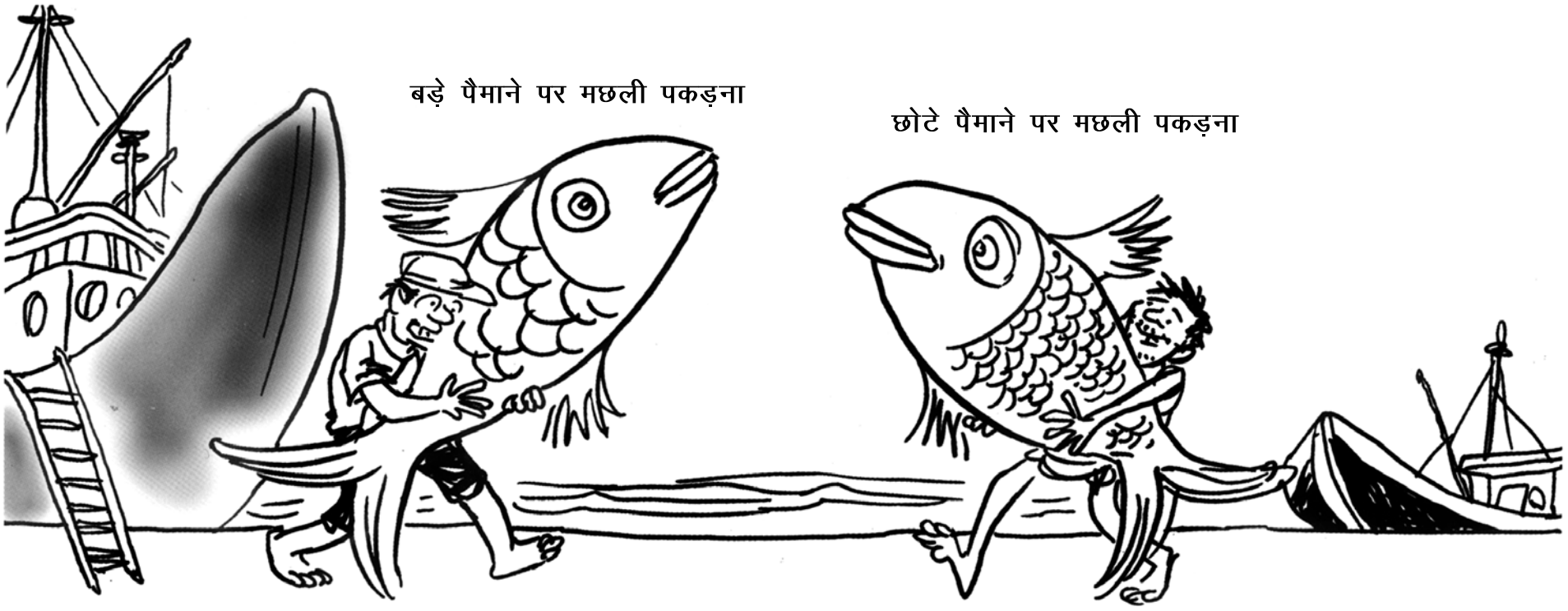
बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना
छोटे पैमाने पर मछली पकड़ना

# छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के लिये भी श्रम मानक पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है?

साठ के दशक से मात्स्यिकी में हुए तकनीकी विकास की वजह से मछली पकड़ने के जलयानों एवं मछली पकड़ने की गतिविधियों में काफी ज्यादा मशीनीकरण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप छोटे पैमाने पर एवं शिल्पयुक्त जलयान अपनी मछली पकड़ने की गतिविधियों के दायरे को फैला रहे हैं। फलस्वरूप छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के जलयानों पर काम एवं रहन–सहन में अहम बदलाव हुए हैं, या बदलाव की जरूरत है।

कई तटीय राज्यों में नौवहन एवं मछली पकड़ने की तकनीकों में विकास के साथ साथ उनके द्वारा 70 के दशक से 200 नॉटिकल मील तक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) या विशेष मछली पकड़ने के क्षेत्र (ईएफजेड) की घोषणा ने तटीय राज्यों के ईईजेड/ईएफजेड में बड़े एवं छोटे मछली पकड़ने के जलयानों के लिये मछली पकड़ने के अवसरों में अभूतपूर्व विस्तार की है। नौवहन साधनों से युक्त छोटे जलयान कई दिनों तक मछली पकड़ने के लिये अब ज्यादा दूरी तक यात्रा कर रहे हैं, वे बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के जलयानों के अनुरूप ही छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के जलयानों पर काम एवं रहन–सहन की परिस्थितियों में सुधार को रेखांकित कर रहे हैं। 24 मीटर से कम लम्बाई वाले जलयानों द्वारा मछली पकड़ने की गतिविधियों मे नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं में अलग–अलग व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं। इस तरह, मछली पकड़ने की कुछ गतिविधियां औद्योगिक तरीके से उत्पादन की ओर झुक रही हैं।

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, खासकर कई विकासशील देशों की मात्स्यिकी में छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने की गतिविधियों में श्रम की परिस्थितियों को हल्के में लेने को रोक सकता है।

दुनिया भर में मछली पकड़ने में, यहां तक कि छोटे पैमाने की गतिविधियों में काम एवं रहन–सहन की परिस्थितियों के लिये स्पष्ट तौर पर एक कानूनी ढांचे की जरूरत है।

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 से कारीगर, एवं छोटे मछुआरे व मछली पकड़ने के जलयान कैसे लाभान्वित होंगे?

हालांकि, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, बड़े या छोटे पैमाने या कारीगर मछुआरों या मछली पकड़ने के जलयानों के लिये कोई भी स्पष्ट सन्दर्भ नही पेश करता, लेकिन इसका दायरा – अपवाद, छूट एवं बहिष्करण के अधीन – मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को शामिल करता है। समझौते के जिन प्रावधानों से छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के जलयानों को संभावित फायदा पहुंच सकता है उनमें निम्न शामिल हैं:

- न्यूनतम उम्र के मानक;
- चिकित्सकीय जांच;
- चालक दल की सूची;
- आराम की नियमित अवधि;
- काम का अनुबंध;
- नियमित वेतन;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने वालों के लिये आवास, भोजन एवं पेयजल;
- नौका पर सवार होने वाले योग्य चिकित्सक या प्रथम उपचार में प्रशिक्षित मछुआरे सहित चिकित्सकीय उपचार एवं चिकित्सकीय

आपूर्ति;

- समुद्र तट पर चिकित्सकीय उपचार का अधिकार;
- पेशेगत दुर्घटनाओं, पेशेगत बीमारियों एवं मछली पकड़ने के जलयानों की सवारी में जोखिमों की रोकथाम करना;
- मत्स्यन गिअर को संभालने में मछुआरों के लिये प्रशिक्षण;
- मछली पकड़ने के जलयानों की सवारी पर दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं छानबीन करना;
- स्वास्थ्य संरक्षण एवं चिकित्सकीय देखभाल; एवं
- सामाजिक सुरक्षा।

हालांकि, शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने की मछली पकड़ने की गतिविधियां जो उपरोक्त प्रावधानों से लाभान्वित होंगी वे अन्य बातों के अलावा इस पर निर्भर होंगी कि छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने की कोई खास श्रेणियां समझौते के दायरे के अंतर्गत लायी जाती हैं या नहीं। छोटे पैमाने की श्रेणियां जो समझौते
से संभावित रूप से लाभान्वित होंगी उनका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा।

# क्या मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 सभी श्रेणियों के मछुआरों एवं मछली पकड़ने के जलयानों को शामिल करता है?

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के अंतर्गत ''मछुआरा'' के परिभाषा में वह हर व्यक्ति शामिल है जो कि किसी भी क्षमता से नियुक्त हो या किसी मछली पकड़ने के जलयान पर कोई

समुद्रतट आधारित
मछुआरे
डब्ल्यूएफसी– 2007
चिकित्सा देखाभाल
सेवा की शर्तें

नौकरी कर रहा हो, साथ ही जलयानों पर सवार होने वाला हर वह व्यक्ति भी शामिल है चाहे उसे मजदूरी या फिर मछली के हिस्सेदारी के तौर पर भुगतान किया जाता हो, और स्व–रोजगार में लगा हो। इस तरह, न सिर्फ मछुआरे, बल्कि मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार मछलियों के संसाधन करने वाले कर्मचारी भी समझौते के दायरे के अंतर्गत आते हैं। घरेलू मछली पकड़ने की गतिविधियों एवं कुछ खास श्रेणियों के मछुआरों या समुद्री मछली पकड़ने में लगे मछली पकड़ने के जलयानों को समझौते में छूट के प्रावधान हैं, जो कि अन्य बातों के अलावा मछली पकड़ने के जलयानों की लम्बाई, मछली पकड़ने के दौरे की अवधि, गतिविधि के क्षेत्र एवं मछली पकड़ने की गतिविधि के प्रकार पर निर्भर हैं। जबकि, यहां तक कि जलयानों की लम्बाई 24 मीटर से कम है तो, ऐसी छूट समुद्र में सात दिनों से ज्यादा रहने वाले एवं 200 नॉटिकल मील से ज्यादा नौवहन करने वाले, या महाद्वीपीय तट के बाहरी किनारे से परे जाने वाले जलयानों तक विस्तार नहीं किया जा सकता।

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 समुद्री तट पर आधारित मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल लोगों को कैसे लाभान्वित करेगा?

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 में मछुआरे की परिभाषा ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो समुद्र तटीय आधारित, या सामान्यतया गैर–जलयान आधारित, गोता लगाने वाले, समुद्र तट पर महाजाल खींचने वाले, समुद्री शैवाल कटाई करने वाले, और फेकने वाले जाल व अन्य समुद्र तट संचालित गियर इस्तेमाल करने वाले

जैसे मछुआरे, एवं जो लोग अंतर–ज्वारीय क्षेत्र में पैदल मछली पकड़ते हैं, भले ही वे पूर्णकालिक हों, यहां तक कि उन लोगों के बीच नियोक्ता मजदूर श्रेणियां हों।

मछुआरे एवं नागरिक समाज संगठन समुद्री तट आधारित मछुआरों के लिए, मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से
सम्बन्धित समझौता, 2007 के अंतर्गत मछुआरों को हो सकने वाले लाभ के अनुरूप ही, लाभ सुनिश्चित करने के लिये क्या कर सकते हैं?

राष्ट्रीय अभियानों में, अन्य बातों के अलावा, सरकारों का ध्यान उनके प्रति आकर्षित करना चाहिये जो गैर–जलयान आधारित, पूर्णकालिक मछुआरे, जैसे गोता लगाने वाले, शंख बटोरने वाले, समुद्र तट पर महाजाल खींचने वाले, और जो लोग मछली पकड़ने से सम्बन्धित काम से जुड़े हैं, खासकर महिलाएं जिनकी ऐसी गतिविधियों में अहम भूमिका होती है ताकि वे भी मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के अहम प्रावधानो ंसे लाभान्वित हो सकें। (i) खतरनाक काम (जैसे गोता लगाना, तटवर्ती समुद्र में महाजाल डालना या अशांत अंतरज्वारीय क्षेत्र में शंख बटोरना); (ii) सेवा की शर्तें (जैसे काम का अनुबंध, आराम के घंटे या भुगतान का तरीका); (iii) पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण; और (iv) चिकित्सकीय देखभाल एवं सामाजिक सुरक्षा, के लिये कुछ न्यूनतम जरूरतें समुद्र तट आधारित मछुआरों के भी कामकाज एवं रहन–सहन की परिस्थितियों में सुधार करेंगी।

# भावी दिशा

भोजन

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 को अपनाने एवं पुष्टि करने वाले सदस्य राज्यों से क्या करने की उम्मीद की जाती है?

जो देश मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 की पुष्टि करते हैं, उन्हें आईएलओ को बताना होगा कि क्यों मछुआरों के कुछ खास श्रेणियों को समझौते के दायरे से अलग रखा जाता है, और अलग की गयी श्रेणियों के लिये समान सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं। इसके अलावा उन्हें सुरक्षित नौवहन एवं गतिविधियों के लिये और मछुआरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये मछली पकड़ने के जलयानों पर लोगों को समुचित एवं सुरक्षित तरीके से काम पर लगाने की जरूरतों को स्पष्ट करना होगा। इसके लिए, अन्य बातों के अलावा, निम्न के लिये मानक विकसित करने की जरूरत होगी :

- जलयानों पर सवार होने वाले मछुआरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त अवधि तक आराम की व्यवस्था करना;
- मछुआरों के लिये मजदूरी के नियमित भुगतान के उपाय सुनिश्चित करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर पर्याप्त आकार एवं गुणवत्ता के आवास का प्रावधान करना;
- जलयानों पर सवार होने वाले मछुआरों में कम से कम एक व्यक्ति के आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल में प्रशिक्षित या योग्य होने की जरूरत सहित, चिकित्सकीय देखभाल;
- समुद्र तट पर मछुआरों के लिये चिकित्सा उपचार के अधिकार को मान्यता देना;

- मछली पकड़ने के जलयानों पर पेशेगत दुर्घटनाओं, पेशेगत बीमारियों एवं काम से सम्बन्धित जोखिमों की रोकथाम करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर पर्याप्त गुणवत्ता एवं मात्रा के भोजन एवं पानी के प्रावधान करना;
- मछुआरों को मछली पकड़ने के गियर के किस्मों को संभालने का प्रशिक्षण और मछली पकड़ने के जिन गतिविधियों में वे शामिल होने वाले हों उनका ज्ञान प्रदान करना;
- मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने पर दुर्घटनाओं की जानकारी देना एवं जांच करना;
- यह सुनिश्चित करना कि मछुआरे एवं उन पर निर्भर लोग सामाजिक सुरक्षा संरक्षण से लाभ के हकदार हों; और
- मछली पकड़ने के जलयानों को योग्य अथॉरिटी द्वारा जारी दस्तावेज रखने की जरूरत हो कि जलयान की समझौते से सम्बन्धित कामकाज एवं रहन–सहन की परिस्थितियों के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन के लिये जांच की गयी है।

जहां तक मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, की जरूरतों के अनुपालन की बात है, तो ध्वज राज्यों को निरीक्षण, रिपोर्टिंग, निगरानी एवं शिकायत प्रक्रियाएं हाथ में लेने और सुधारात्मक उपाय के लिये उपयुक्त दंड लागू करने की जरूरत है। यदि किसी पोर्ट पर आने वाले जलयान समझौते की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो, इसके आगे ध्वज राज्यों को रिपोर्ट करने के लिये पोर्ट–राज्य प्रावधान हैं। पोर्ट राज्य भी ऐसे जलयानों के किसी भी हालात को सुधारने के लिये कदम उठा सकते हैं जो मछुआरों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये खतरनाक समझे जाते हों।

# क्या मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने वाले विकासशील देशों को मदद करने के लिये क्या कोई विशेष प्रावधान हैं?

''प्रगतिशील क्रियान्वयन की अवधारणा'' (देखें पृष्ठ 30) समझौते के दायरे के अंतर्गत लाये जाने वाले मछली पकड़ने के जलयानों एवं उन पर सवार होने वाले मछुआरों को श्रेणीबद्ध करने के लिये विकासशील देशों को, खासकर, समझौते के कुछ खास प्रावधानों के क्रियान्वयन में अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करती है।

# मछुआरे एवं नागरिक समाज संगठन मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये क्या कर सकते हैं?

राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिये अभियान चलाया जाना चाहिये कि मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 की पुष्टि हो। समझौते के क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त स्तर पर कानून विकसित करने या सुधारने के लिये पहल करना भी महत्वपूर्ण है। योग्य अथॉरिटी, एवं नियोक्ताओं व मजदूर संगठनों से सहयोग चाहने के लिये राष्ट्रीय स्तर

पर अभियान चलाना महत्वपूर्ण है। सलाहकारी एवं भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से, यह अभियान उन मछुआरों एवं मछली पकड़ने के जलयानों की श्रेणियों की पहचान में मदद के लिये चलाया जाना चाहिये जिन्हें अल्पकाल या दीर्घकाल में समझौते के दायरे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, या अलग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मछली पकड़ने के उन सभी जलयानों की पहचान के लिये यह आवश्यक है, चाहे वे किसी भी आकार के हों, जिनका मछली पकड़ने का एक दौरा एक सप्ताह से ज्यादा होता है, और जो महाद्वीपीय किनारे से बाहर या 200 नॉटिकल मील से बाहर मछली पकड़ते हैं। इसके आगे, 24 मीटर लम्बाई से कम वाले किन मछली पकड़ने के जलयानों एवं उनमें काम करने वाले मछुआरों को समझौते के दायरे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, यह अन्य बातों के अलावा, मछली पकड़ने के दौरे की अवधि, गतिविधि के क्षेत्र एवं प्रकार पर निर्भर होगा। इसके अलावा, जिन मछुआरों एवं मछली पकड़ने के जलयानों को समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट मिलनी चाहिए, और जिन्हें अपवाद किया जाना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। समझौते के उन प्रावधानों की पहचान करना भी जरूरी है जिन्हें सभी मछुआरों पर लागू की जानी चाहिए। इस तरह, उदाहरण के लिए, न्यूनतम उम्र की जरूरतें, नियमित मजदूरी भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा को ऐसे प्रावधानों के तौर पर देखा जा सकता है जो सभी मछुआरों पर लागू होने चाहिए।

कई विकासशील देश खराब बुनियादी ढांचे एवं कमजोर संस्थानों से ग्रस्त हैं। सरकारों की प्रवर्तन क्षमता की बेहतरी के लिए, मात्स्यिकी, समुद्री या मछली पकड़ने के जलयान के सुरक्षा अथॉरिटी एवं श्रम प्रशासन के प्रमुख पुनर्विन्यास, या युक्तिसंगत की जरूरत होगी। सिर्फ ऐसे बदलावों से ही विकासशील देशों को मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, को क्रियान्वित करने के लिये कानून अपनाने में मदद मिल सकती है। यह 24 मीटर से छोटे मछली पकड़ने के जलयानों, एवं उन पर सवार होने वाले मछुआरों को श्रम के नजरिये से देखने में भी उन्हें सक्षम बनायेगा, जो शायद ही अधिकांश विकासशील देश में किया गया हो।

# निष्कर्ष

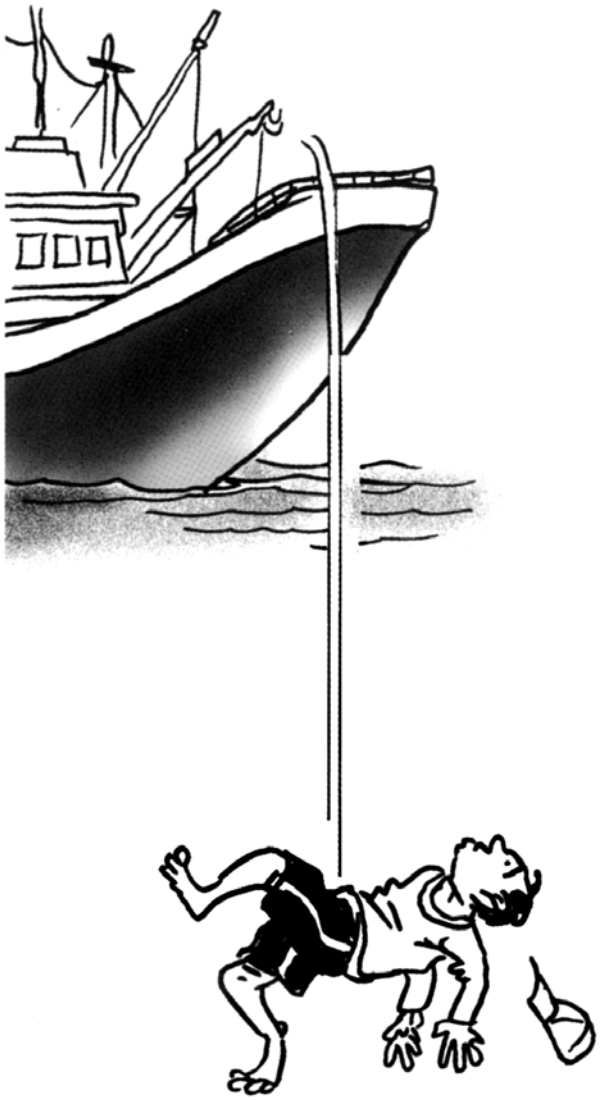

डब्ल्यूएफसी
2007

# कुछ समापन टिप्पणियां

मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007, मछली पकड़ने के क्षेत्र में मछुआरों की भर्ती, मछली पकड़ने के जलयानों पर सवार होने वालों के रहन–सहन एवं कामकाज की परिस्थितियों में सुधार करने एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में श्रम मानक के प्रमुख तत्व प्रदान करता है। यह मछुआरों को अमानवीय कामकाज की परिस्थितियों से सुरक्षित कर सकता है, और इससे दुनिया भर में छोटे एवं बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगे मछुआरों के कामकाज एवं रहन–सहन की परिस्थितियों को सुधारने में मदद मिलनी चाहिए। सन 2004 में मछली पकड़ने की समिति को सम्बोधित करते हुए, आईएलसी के महासचिव ने कहा, ''यह स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है कि कोई भी मछुआरा समझौते के सुरक्षा जाल से अनजाने में न छूट जाये.. ..। इसे हासिल करने के लिए, इस जाल की जाली बिल्कुल सही होनी चाहिएः इतना बड़ा नहीं कि इसमें सब कुछ छूट जाये, बल्कि इतना छोटा भी नहीं कि यह पुष्टि करने एवं क्रियान्वयन को रोक दे।'' दुनिया भर में मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 को क्रियान्वित करने के लिए, सरकारों, मछुआरों एवं नियोक्ताओं के समूह और गैर–सरकारी संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

– इंटरनेशल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (आईसीएसएफ) द्व ारा तैयार की गई

www.icsf.net
icsf@icsf.net

# नोट

# नोट

# मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007

यह गाइडबुक मछली पकड़ने के क्षेत्र में काम से सम्बन्धित समझौता, 2007 पर एक त्वरित अवलोकन प्रदान करने का प्रयास करती है, जिसे जून 2007 में जिनेवा, स्विटजरलैण्ड में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के 96वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में अपनाया गया था। यह समझौते के किसी भी प्रावधान की व्याख्या प्रदान करने का दावा नहीं करती है और इसे इसमें शामिल वास्तविक प्रावधानों के स्थानापन्न के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इस गाइडबुक का उद्देश्य उन लोगों को मदद करना है जो कि समझौते से एवं आईएलओ व आईएलसी के कार्यप्रणाली से वाकिफ नहीं हैं, ताकि वे सम्बन्धित मुद्दों पर समझ हासिल करें। खासकर, यह गाइड उम्मीद करती है कि मछुआरे एवं उनके संगठन विकासशील देशों में शिल्पयुक्त एवं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के समझौते के लाभों एवं निहितार्थों को समझें।

यह गाइडबुक ऑनलाइन *www.icsf.net* पर भी उपलब्ध है

**ISBN 978-93-80802-11-4**

ICSF

**www.icsf.net**